भारत सरकार
पेट्रोलयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकत प्रश्न सं0 **4679**
दिनांक **22** जुलाई, 2019

ऑनलाइन गैस पाइपलाइन कनेक्शन

4679. श्री रव कशनः
श्री सी॰पी॰ जोशीः

क्या पेट्रोलयम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या सरकार का देश के 'ख' श्रेणी के शहरों वशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र के मेट्रो शहरों में ऑनलाइन गैस पाइपलाइन कनेक्शन प्रदान करने का वचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजना की अनुमानित लागत कतनी है तथा इस कार्य के कब तक पूर्ण होने की संभावना है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं**?**

उत्तर
पेट्रोलयम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) से (ग) : पीएनजीआरबी अधनियम, **2006** के अनुसार पेट्रोलयम और प्राकृतिक गैस वनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) भौगोलक क्षेत्रों (जीएज) में नगर गैस वतरण (सीजीडी) नेटवर्क के वकास के लए कंपनियों को प्राधकार प्रदान करने वाला प्राधकरण है। पीएनजीआरबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन संबद्धता के वकास और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता के साथ-साथ सीजीडी नेटवर्क के वकास हेतु प्राधकार प्रदान करने के लए भौगोलक क्षेत्रों की पहचान करता है। पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) कनेक्शन उपलब्ध करवाना सीजीडी नेटवर्क के वकास का हिस्सा है और यह कार्य पीएनजीआरबी द्वारा प्राधकृत कंपनियों द्वारा कया जाता है। 10वें सीजीडी बोली दौर तक पीएनजीआरबी ने सीजीडी नेटवर्क के वकास हेतु 27 राज्यों और संघ शासत प्रदेशों में फैले हुए 406 जिलों को कवर करते हुए और उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों सहित भारत की लगभग 70 प्रतिशत आबादी तथा 53**%** भौगोलक क्षेत्र को कवर करते हुए 228 भौगोलक क्षेत्रों को प्राधकृत कया है। प्राधकृत कंपनियों द्वारा पीएनजीआरबी को प्रस्तुत की गई कार्य योजना के अनुसार सीजीडी नेटवर्कों के वकास का कार्य निष्पादित करना अपेक्षत है। 10वें सीजीडी बोली दौर तक उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों में प्राधकृत भौगोलक क्षेत्रों के ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं।

अनुलग्नक

ऑनलाइन गैस पाइपलाइन कनेक्शन के बारे में दिनांक 22.07.2019 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4679 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों में प्राधिकृत भौगोलिक क्षेत्रों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	भौगोलिक क्षेत्र (जीएज)
1	उत्तर प्रदेश	मथुरा (भाग) जिला, मेरठ (भाग) जिला, इलाहाबाद (भाग) जिला, झाँसी (भाग) जिला, सहारनपुर जिला, बुलंदशहर (भाग) जिला, बागपत जिला, बरेली (भाग) जिला, कानपुर (भाग) जिला, आगरा, आगरा फिरोजाबाद टीटीजेड, लखनऊ, खुर्जा, मुरादाबाद (भाग) जिला, वाराणसी जिला, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर जिला (पहले से प्राधिकृत क्षेत्रों को छोड़कर), अलीगढ़ और हाथरस जिले; इलाहाबाद जिला (पहले से प्राधिकृत क्षेत्रों को छोड़कर), भदोही और कौशाम्बी जिले; अमेठी, प्रतापगढ़ और रायबरेली जिले; औरैया, कानपुर देहात और इटावा जिले; फैजाबाद और सुल्तानपुर जिले; गोरखपुर, संतकबीर नगर और कुशीनगर जिले; मेरठ जिला (पहले से प्राधिकृत क्षेत्रों को छोड़कर), मुजफ्फरनगर और शामली जिले; मुरादाबाद (पहले से प्राधिकृत क्षेत्रों को छोड़कर) जिला; उन्नाव (पहले से प्राधिकृत क्षेत्रों को छोड़कर) जिला: आजमगढ़, मऊ और बलिया जिले; बरेली (पहले से प्राधिकृत क्षेत्र को छोड़कर) जिला, पीलीभीत और रामपुर जिले; बस्ती और अंबेडकरनगर जिले; फर्रुखाबाद, एटा और हरदोई जिले; गोंडा और बाराबंकी जिले; जौनपुर और गाजीपुर जिले; कानपुर (पहले से प्राधिकृत क्षेत्र को छोड़कर) जिला, फतेहपुर और हमीरपुर जिले; मैनपुरी और कन्नौज जिले, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र जिले; शाहजहाँपुर और बदायूँ जिले;
2	उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	बिजनौर और नैनीताल जिले
3	मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश	झाँसी (पहले से प्राधिकृत क्षेत्र को छोड़कर) जिला, भिंड, जालौन, ललितपुर और दतिया जिले
4	बिहार	पटना जिला, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास जिले; बेगूसराय जिला; गया और नालंदा जिले; अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जिले; अरवल, जहानाबाद, भोजपुर और बक्सर जिले; खगड़िया, सहरसा और मधेपुरा जिले; लखीसराय, मुंगेर और भागलपुर जिले; मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण और समस्तीपुर जिले
5	बिहार और झारखंड	नवादा और कोडरमा जिले; शेखपुरा, जमुई और देवघर जिले
6	राजस्थान	कोटा (भाग) जिला, भवाड़ी (अलवर जिले में), बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिले; अलवर (भवाड़ी के अलावा) और जयपुर जिले; कोटा जिला (पहले से प्राधिकृत क्षेत्र को छोड़कर), बारां और चित्तौड़गढ़ (केवल रावतभाटा तालुका) जिले; भीलवाड़ा और बूंदी जिले; चित्तौड़गढ़ (रावतभाटा तालुका के अलावा) और उदयपुर जिले; धौलपुर जिला; अजमेर, पाली और राजसमंद जिले; जालोर और सिरोही जिले
7	मध्य प्रदेश और राजस्थान	झाबुआ, बांसवाड़ा, रतलाम और डूंगरपुर जिले
8	महाराष्ट्र	पालगढ़ जिला और ठाणे ग्रामीण, रायगढ़ जिला (पहले से प्राधिकृत क्षेत्र को छोड़कर), पुणे जिला (पहले से प्राधिकृत क्षेत्र), रत्नागिरी जिला, सोलापुर जिला, कोल्हापुर जिला, मुंबई और ग्रेटर मुंबई, पुणे शहर जिसमें पिंपरी-चिंचवड़ और आसपास के समीपवर्ती क्षेत्र हिंजेवाड़ी, चाकन शामिल हैं। , तालेगाँव, ठाणे (शहरी और आसपास के नगर पालिका), अहमदनगर और औरंगाबाद जिले; लातूर और उस्मानाबाद जिले; सांगली और सतारा जिले; सिंधुदुर्ग जिला
9	महाराष्ट्र और गुजरात	वलसाड (पहले से प्राधिकृत क्षेत्रों को छोड़कर), धुले और नासिक जिले

*****